

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मोसमात मोहिनी देवी

बनाम

कुलपति, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 19605

24 अप्रैल, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णन्दु सिंह)

**विचार के लिए मुद्दा**

क्या याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला विश्वविद्यालय के कुलसचिव का आदेश सही है या नहीं?

**हेडनोट्स**

सेवा कानून - सेवानिवृत्ति बकाया और पारिवारिक पेंशन-अस्वीकृति-याचिकाकर्ता जो मृतक कर्मचारी की पहली पत्नी है- माननीय उच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश के बावजूद पेंशन लाभ से इनकार किया गया है- आज तक याचिकाकर्ता के अलावा किसी ने भी मृतक कर्मचारी की मृत्यु के कारण देय पारिवारिक पेंशन का दावा करने में रुचि नहीं दिखाई है- दूसरी पत्नी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था- याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है- मृतक कर्मचारी के केवल बेटे और किसी अन्य सदस्य ने याचिकाकर्ता के दावे पर कोई आपत्ति नहीं की है।

**अभिनिर्धारित किया गया:** कानून में यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि मृतक कर्मचारी की पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए—पेंशन कोई उपहार नहीं है— उसका एकमात्र दावा यह है कि वह मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पहली पत्नी है और चूँकि उसने किसी पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए मृतक कर्मचारी ने

किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया था—विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कई दस्तावेजों पर भी विचार नहीं किया—आलोचना आदेश को रद्द किया गया और एक नया आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रद्द किया गया—निर्देश और अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया गया। (कंडिका 3, 5, 7, 8 और 10)

#### न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

#### अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

#### मुख्य शब्दों की सूची

सेवानिवृत्ति बकाया और पारिवारिक पेंशन, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, अनुकंपा नियुक्ति।

#### प्रकरण से उत्पन्न

कुलसचिव के आदेश से याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया और पारिवारिक पेंशन के दावे को अस्वीकार कर दिया गया।

#### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रतन कुमार कुमार, अधिवक्ता।

विश्वविद्यालय की ओर से: श्रीमती बिनीता सिंह, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

#### माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  
2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 19605**

=====

मोसमात मोहिनी देवी, पति- स्वर्गीय बैद्यनाथ झा, निवासी मोहल्ला- मौहाली, डाकघर-  
मौहाली, थाना- बहेरी, जिला- दरभंगा।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. कुलपति, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. कुलसचिव, एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
3. वित्त अधिकारी, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

**उपस्थिति :**

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रतन कुमार, अधिवक्ता।

विश्वविद्यालय के लिए : श्रीमती बिनिता सिंह, अधिवक्ता।

=====

**गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरनेन्दु सिंह**

**मौखिक निर्णय**

**दिनांक : 24-04-2023**

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रतन कुमार कुमार और विश्वविद्यालय के लिए विद्वान अधिवक्ता श्रीमती बिनिता सिंह को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दलील देते हैं कि याचिकाकर्ता जो मृतक कर्मचारी बैद्यनाथ झा की पहली पत्नी हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति बकाया और पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया गया है। वह दलील देते हैं कि आधार कार्ड सं. 710536844811 इंगित करता है कि याचिकाकर्ता मोहिनी देवी, मृतक कर्मचारी स्वर्गीय बैद्यनाथ झा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं और वह सभी पेंशन लाभों की हकदार हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा 14.03.2019 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 142/2019 में पारित

विशिष्ट आदेश के बावजूद अस्वीकार कर दिया गया है। वह 14.03.2019 के आदेश के संचालन भाग का उल्लेख करते हैं, जिसे आगे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता उत्तरदाता सं. 2, कुलसचिव, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, इसका निपटारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता किसी राशि का हकदार है, तो उसका भुगतान उसके बाद दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

यदि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकार्य नहीं हैं, तो इसकी सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

रिट आवेदन का निपटारा तदनुसार किया जाता है।”

3. विद्वान अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि उसके दावे को स्थापित करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या सक्षम क्षेत्राधिकार के दीवानी न्यायालय से कोई डिक्री जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह मृत कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है क्योंकि उसने उस संबंध में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जो पुष्टि करते हैं कि याचिकाकर्ता कानूनी पत्नी है। आज तक याचिकाकर्ता के अलावा किसी ने भी पारिवारिक पेंशन का दावा करने में रुचि नहीं दिखाई है जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु के कारण देय है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2019 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 142/2019 में पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया गया और

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कारण दर्ज करने के बाद, याचिकाकर्ता के इस दावे को अस्वीकार कर दिया गया कि वह मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पहली पत्नी है। यह भी दलील दिया गया है कि मृतक कर्मचारी की वैध पत्नी शांति देवी की भी 25.01.2019 को मृत्यु हो गई है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि यह स्वीकार किया जाता है कि उसके पति (मृत कर्मचारी) ने उसे और एक बेटे अजय कुमार को पीछे छोड़ गए हैं। अधिकारियों ने मृतक कर्मचारी के बेटे अजय कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार सही किया है। याचिकाकर्ता, मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के कारण उसे पारिवारिक पेंशन का अधिकार देता है। मृतक कर्मचारी के इकलौते बेटे और किसी अन्य सदस्य ने याचिकाकर्ता के दावे पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। इन पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दलील देते हैं कि ज्ञापन सं. 21 दिनांक 12.04.2021 में निहित आदेश, कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है क्योंकि कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि मृतक कर्मचारी के पुत्र ने याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है।

6. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनने के बाद, कुलसचिव ने याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया है और निम्नलिखित आदेश पारित किया है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, आगे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

तर्कसंगत आदेश:

1. यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता मोहिनी देवी, जो स्वर्गीय बी.एन. झा की पहली पत्नी होने का दावा कर रही थीं, को कभी भी मृतक पदधारी का जीवनसाथी नहीं माना गया, जो कि स्वर्गीय डॉ. झा द्वारा एल.आई.सी. बीमा में किए गए नामांकन

के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसकी प्रति फ़ाइल में उपलब्ध थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि शांति देवी स्वर्गीय झा की पत्नी के रूप में नामित थीं।

2. शांति देवी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से फ़ाइल में उपलब्ध, शांति देवी के नाम से जारी भारत के चुनाव आयोग के पहचान पत्र में स्वर्गीय बैद्यनाथ झा को उनके "पति" के रूप में दर्शाया गया है।

3. अभिलेखों में उपलब्ध 17.05.2001 का आवेदन दर्शाता है कि श्रीमती शांति देवी ने अपने इकलौते बेटे अजय कुमार के लिए वेतन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के साथ-साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा किया था।

4. तत्कालीन सांसद, दरभंगा श्री कीर्ति झा आज़ाद का दिनांक 09.05.2001 का पत्र, जिसमें मृतक की पत्नी श्रीमती शांति देवी को समूह बीमा राशि और अन्य देय राशि के भुगतान के संबंध में लिखा गया था, पृष्ठ 69/संशोधन पर देखा जा सकता है। इसमें उन्होंने विश्वविद्यालय से स्वर्गीय झा की पत्नी शांति देवी को भुगतान करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, उन्होंने दिनांक 27.06.2001 का एक प्रमाणपत्र भी जारी किया है कि श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय बैद्यनाथ झा की पत्नी हैं, निवासी वार्ड सं.-10, मोहल्ला- दोनार (आर्यभट्ट कार्यालय के पास), शहर- दरभंगा।

5. स्वर्गीय बैद्यनाथ झा के साथ उनकी पत्नी शांति देवी और दो बच्चों की तस्वीरें भी फ़ाइल में उपलब्ध हैं, जिससे पता चलता

है कि श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय बैद्यनाथ झा की पत्नी हैं।

6. विश्वविद्यालय ने पहले ही स्वर्गीय डॉ. बैद्यनाथ झा और स्वर्गीय शांति देवी के इकलौते पुत्र अजय कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर दिया था।

7. इस प्रकार, स्वर्गीय शांति देवी का दावा वास्तविक और वैध साबित होता है।

8. श्रीमती मोहिनी देवी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वह स्वर्गीय झा की वैध पत्नी हैं।

अतः, श्रीमती शांति की भी 25.01.2019 को मृत्यु हो गई, अतः स्वर्गीय झा की उपरोक्त पारिवारिक पेंशन 04.03.2001 (डॉ. झा के निधन की अगली तिथि) से 25.01.2019 (शांति देवी के निधन की तिथि) तक और अन्य वेतन या सेवानिवृत्ति देय राशि उनके इकलौते पुत्र अजय कुमार को देय है, जो डॉ. झा के सेवाकाल के दौरान दुखद निधन के कारण अनुकंपा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी भी हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यावेदन का निपटारा उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।”

7. कानून अच्छी तरह से तय है कि मृतक कर्मचारी की पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सर्वविदित है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है। वर्तमान मामले में, अभिलेख से पता चलता है कि मृतक कर्मचारी के इकलौते बेटे अजय कुमार को विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि मृतक कर्मचारी की एक पत्नी शांति देवी भी नहीं रहीं।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि अजय कुमार का जन्म स्वर्गीय शांति देवी से हुआ था। उसका दावा है कि वह मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पहली पत्नी है और चूंकि उसने एक पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए मृतक कर्मचारी ने स्वर्गीय शांति देवी से शादी की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अजय कुमार को अनुकंपा के साथ नियुक्ति दी गई है, वह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता के इस दावे पर आपत्ति जताई होगी कि वे मृतक कर्मचारी की पहली पत्नी से कानूनी रूप से विवाहित नहीं हैं।

8. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलसचिव ने दिनांक 12.04.2021 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय उपरोक्त तथ्य पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कई दस्तावेजों पर भी विचार नहीं किया था, दिनांक 12.04.2021 का आक्षेपित आदेश इस निर्देश के साथ रद्द किया जाता है कि याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में किसी ने भी आपत्ति नहीं की है और दिवंगत कर्मचारी अजय कुमार के पुत्र ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता उसकी सौतेली माँ नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में कई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं और आधार कार्ड से भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी की पत्नी है। यह न्यायालय पाता है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार जारी विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विवाह का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत करना अनुचित है, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता वृद्ध हो गई है और विवाह के साक्ष्य के रूप में, यह न्यायालय पाता है कि पूरक हलफनामे के साथ पर्याप्त दस्तावेज अभिलेख में लाए गए हैं और इन दस्तावेजों पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है/विचार नहीं किया गया है।

9. कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को याचिकाकर्ता को उचित अवसर देने के बाद तीन सप्ताह के भीतर एक नया आदेश अवश्य पारित करना



चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि किसी भी ओर से कोई आपत्ति नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त दिशा और अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

मन्त्रेश्वर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।